

डिक्री व मुकदमें इत्यादि
(आदेश 20 रूल 8-7 जाति : सीमांती)
CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्थ) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : संदीप कुमार आर.एस.

करण संख्या 19/2019

लखीवरसिंह पुत्र जबरजंग सिंह जाति जटसिख निवासी 60 एल एन पी तहसील मदनपुर जिला श्रीगंगानगर
-वादी

बनाम

1. जबरजंग सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 68 एलएन पी तह. मदनपुर जिला श्रीगंगानगर
 2. सुखदेवकौर
 3. जगजीत सिंह
 4. जसप्रीत कौर
- पुत्रगण जबरजंग सिंह जाति जटसिख
निवासीगण चक 68 एल एन
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

-प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-209 आर. टी. एक्ट


-: निर्णय :-

दिनांक-24.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी श्री सतपाल विश्णोई अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई श्री महेन्द्र शर्मा मिनजानिब मुवायालाह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:-

चक 30 एम एल के मु.नं. 23 प.नं. 104/279 के कि.नं. 11ता15 की 1.265है0 नहरी भूमि व इसी मुरब्बा के किला नं. 16ता20 की 1.265है. नहरी भूमि कुल 2.530है0 नहरी भूमि का वादी लखवीर सिंह पुत्र जबरजंग सिंह जाति जटसिख निवासी 60 एल.एन पी तहसील मदनपुर को खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 24.07.2019 को जारी की गई।


(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
श्रीगंगानगर